बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

कार्यालय आदेश सं0:- 408324 / पटना, दिनांक :- 25/01/2019

सं0सं0-ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-02/2017

श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट, बाँका के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक- 143 दिनांक- 27.02.2018 एवं पत्रांक- 03 दिनांक- 05.01.2019 के द्वारा दो आरोप पत्र प्राप्त हुआ। दोनों आरोप पत्र में श्री अग्रवाल के विरूद्ध उच्चाधिकारी के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करने, राज्यस्तरीय एम0आई0एस0 टीम द्वारा आयोजित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रशिक्षण कार्यशाला में हंगामा कर बाधित करने, कार्यशाला का बहिष्कार करने, उच्चाधिकारी को धमकी देने एवं आदेश की अवहेलना करने तथा विभागीय नियम के विरूद्ध अपने प्रतिस्थानी को प्रभार सौंपने के उपरांत भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की राशि का भुगतान करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी बाँका के पत्रांक- 143 दिनांक- 27.02.2018 द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री अग्रवाल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

श्री अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है एवं जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री अग्रवाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- **आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राधा किशोर झा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- सं0सं0-ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-02/2017 - 408324 /पटना, दिनांक :- 25/01/2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- सं0सं0-ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-02/2017 - 408324 / पटना, दिनांक :- 25/01/2019

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- श्री अनुराग कौशल सिंह, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्राप्त दो आरोप पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अपना प्रतिवेदन तथा कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेशफलक संलग्न कर अपना मंतव्य तीन प्रतियों में विभाग को प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- सं0सं0-ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-02/2017- 408324 /पटना, दिनांक :- 25/01/2019

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बाँका/ उप विकास आयुक्त, बाँका / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ चौक (लखीसराय) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट, बाँका /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, बाँका से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से जिला स्तर के किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए उसकी सूचना विभाग एवं संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव

25/01

F:\Section-14\Year 2019\Office Order\Resolution(2019)-06 .doc